

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल द्विवीजन
म. प्र. 108/भोपाल/03-05



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 सितम्बर 2004—भाद्र 15, शक 1926

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्र. एफ. 1-उन्सठ-2003-13-1.—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा में भर्ती और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "ए. आई. सी. टी. ई." से अभिप्रेत है आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनीकल एजुकेशन एक्ट, 1987 (1987 का सं. 52) के अधीन स्थापित आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनीकल एजुकेशन;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो के कॉलम 3 से 7 में वर्णित पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों, संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार तथा अनुसूची-दो के कॉलम 8 से 12 में दर्शित ऐसे पदों के जो

सोसाइटी/संस्थान को अंतरित किये गये हैं, संबंध में अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/संस्थान समिति;

- (ग) "बोर्ड ऑफ गवर्नर्स" से अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;
- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) "संस्थान" से अभिप्रेत है कोई पोलिटेकनिक महाविद्यालय जिसका प्रबंधन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1-2001, दिनांक 12 जुलाई, 2001 के द्वारा प्रबंधन समिति में निहित है;
- (च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (छ) "प्रबंधन समिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के रजिस्ट्रीकृत किसी पोलिटेकनिक महाविद्यालय की प्रबंधन समिति;
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में वर्णित विभिन्न अनुसूचियां;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूल वंश या जनजाति का भाग या का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,

(ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-तान में उल्लिखित चयन समिति;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा;

(ड) "सोसाइटी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) से रजिस्ट्रीकृत पोलिटेकनिक महाविद्यालय की सोसाइटी.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश रिजिचल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्दिष्ट उपबंधों की व्यापक प्रतिकूल प्रभाव डालते बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों, डाईंग गठन करेंगे;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

2

5. सर्गीकरण, वेतनमान आदि.—रोगी का सर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा रोगी में शामिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में परन्तु सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि होने पर सरकारी सेवक द्वारा त्याग गये पद पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सोसाइटी/प्रबंधन समिति को अंतरित हो जायेंगे।

6. भर्ती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी;

(2) उपनियम--(1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-तीन में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किरसी भी समय अधिक नहीं होगी;

(3) उपनियम-(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सोसाइटी/प्रबंधन समिति की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सोसाइटी/प्रबंधन समिति, सरकार की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न भर्ती का ऐसा तरीका अपना सकेगी, जैसा वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

7. सेवा में नियुक्ति.—नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां करेगा और ऐसी नियुक्तियां, नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.—चयन के समय प्रतियोगिता में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) आयु (क) (एक) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कालम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो;

(दो) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(तीन) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जोचित संतान हो, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(च) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी,

ऐसे अभ्यर्थी की, जो छंटी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से छोटक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से छोटक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या उसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी टार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें,—

(क) अल्पकालीन बचनबंध पूर्ण हो जाने पर; और

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरुद्ध छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विरोध उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- (च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा 55 वर्ष होगी;
- (ज) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन रयीम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) "विक्रम पुरस्कार धारक" अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ट) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु-सीमा 8 वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

टिप्पणी:—(1) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

2. शैक्षणिक अर्हताएं.—उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जो अनुसूची चार में सेवा के लिये विहित की गई हैं.

3. फीस.—उसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता.—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्धिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये निरर्हित करेगा.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय.—चयन/परीक्षा के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा और/या साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जायेगा.

11. चयन द्वारा सीधी भर्ती.—(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्त प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/प्रबंधन समिति द्वारा लिखित परीक्षा तथा/या साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा.

(3) अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों पर नियुक्त, आरक्षण संबंधी विधि या नियमों के द्वारा शासित होगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पदों को आरक्षित रखा जायेगा. इस प्रयोजन के लिये रीस्टर का संधारण संस्थान के स्तर पर किया जायेगा.

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा.

(ग) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण लागू होगा.

12. नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—(1) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो विशिष्ट सेवा/पद के लिये ऐसी स्तर से अर्हित हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी को अर्पित करेगी. चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) चयन समिति विभिन्न संवर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग आदि के अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् सूची तैयार करेगी.

(3) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों.

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही नियुक्ति का आगिवार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के अन्तर्गत, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(5) चयन सूची, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/प्रबंधन समिति द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी.

13. सेवा की शर्तें.—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी भर्ती अनुसूची-तीन में दर्शाये गये मूल पद यथा व्याख्याता, प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी (ग्रेड-2); सिस्टम एनालिस्ट (ग्रेड-2 एवं 3), पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहायक कर्मशाला अधीक्षक तथा प्रोग्रामर, आदि के रूप में हुई हो, प्रारंभ में तीन वर्षों की कालावधि के लिये संबिदा पर नियुक्त किया जाएगा. इस कालावधि के पूर्ण होने पर, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के कार्य का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा यदि उपयुक्त पाया जाने तो उसे नियमित नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी.

(2) सोसाइटी/प्रबंधन समिति, अनुसूची-दो में दर्शाये गये विभागाध्यक्षों, कर्मशाला अधीक्षकों, प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी (ग्रेड-1), सिस्टम एनालिस्ट (ग्रेड-1) तथा प्राचार्यों आदि के पदों पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियमित नियुक्ति कर सकेगी.

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति का आचरण, समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन तथा उससे संबंधित अन्य फायदों के लिये हकदार नहीं होगा. यद्यपि ऐसे व्यक्तियों का, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो में उल्लिखित पदों को मूल रूप से धारण करते हैं, उच्च पदों पर चयन होने पर उस पद के, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति हुई है, पेंशन संबंधी फायदों के हकदार होंगे.

(5) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, किरात भी पक्ष द्वारा एक मास की सूचना या उसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करने पर, संबिदा/परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व भी समाप्त की जायेगी.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उन कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधाओं के फायदे तथा यात्रा भत्ता का हकदार होगा, जिसके लिये राज्य सरकार में उनके सामान्य संवर्ग के कर्मचारी हकदार हैं।

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा विनिश्चित अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का भी हकदार होगा।

(8) इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक छुट्टियों का हकदार होगा किन्तु वह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या अवकाश का हकदार नहीं होगा। नियमित आधार पर नियुक्त अन्य व्यक्ति ऐसे अवकाश लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को लागू है।

(9) संविदा/नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति ऑल इंडिया कार्डसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन के सन्नियमों के अनुसार उच्च अर्हताएं हकदार होगा।

(10) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसको नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हों।

14. धारणाधिकार.—यदि कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक के कॉलम (3) से (7) में विनिर्दिष्ट पद मूल हैसियत में धारण कर रहा हो, प्रतिनियुक्ति पर होगा और यदि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी उच्चतर पद पर चयन होता है तो उसे अपने मूल पद पर अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये धारणाधिकार बनाये रखने की अनुज्ञा दी जायेगी। ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व उस संस्थान के जिसमें कि वह सेवा कर रहा है, नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्था के आमेलन के बारे में अंतिम विनिश्चय करना होगा।

15. राज्य सरकार की भर्ती तथा संवर्ग प्रबंधन नीति का समन्वय करने की शक्ति.—राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जब कभी भी आवश्यक हो, इन नियमों के अधीन संस्थाओं में भर्ती चयन तथा शिक्षकों के संवर्ग के प्रबंधन के लिये सामान्य सन्नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण करने संबंधी निर्देश सोसाइटी/प्रबंधन समिति को जारी करें।

16. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. शिथिलीकरण.—इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्तियों को सीमित या कम करती हों:

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं चलाया जायेगा, जो उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो।

18. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सगरत नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा, निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

श्री (एआइसीटीई)

| क्र.सं. | वर्ग | वर्ग (1) | वर्ग (2) | वर्ग (3) | वर्ग (4) | वर्ग (5) | वर्ग (6) |
|---------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 30. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | प्रशिक्षण एवं संचालन अधिकारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | वीडियो रिकार्डिस्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | अनुसंधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | सामग्री एवं संचालन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | भू-विकास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | सिमेंट टेक्नोलॉजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | सिस्टम एनालिस्ट ग्रंथ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

वर्ग (3)

वर्ग (4)

वर्ग (5)

वर्ग (6)

वर्ग (7)

वर्ग (8)

वर्ग (9)

वर्ग (10)

वर्ग (11)

वर्ग (12)

वर्ग (13)

वर्ग (14)

वर्ग (15)

वर्ग (16)

वर्ग (17)

वर्ग (18)

वर्ग (19)

वर्ग (20)

वर्ग (21)

वर्ग (22)

वर्ग (23)

वर्ग (24)

वर्ग (25)

वर्ग (26)

वर्ग (27)

वर्ग (28)

वर्ग (29)

वर्ग (30)

वर्ग (31)

वर्ग (32)

वर्ग (33)

वर्ग (34)

वर्ग (35)

वर्ग (36)

वर्ग (37)

वर्ग (38)

वर्ग (39)

वर्ग (40)

वर्ग (41)

वर्ग (42)

वर्ग (43)

वर्ग (44)

वर्ग (45)

वर्ग (46)

वर्ग (47)

वर्ग (48)

वर्ग (49)

वर्ग (50)

वर्ग (51)

वर्ग (52)

वर्ग (53)

वर्ग (54)

वर्ग (55)

वर्ग (56)

वर्ग (57)

वर्ग (58)

वर्ग (59)

वर्ग (60)

वर्ग (61)

वर्ग (62)

वर्ग (63)

वर्ग (64)

वर्ग (65)

वर्ग (66)

वर्ग (67)

वर्ग (68)

वर्ग (69)

वर्ग (70)

वर्ग (71)

वर्ग (72)

वर्ग (73)

वर्ग (74)

वर्ग (75)

वर्ग (76)

वर्ग (77)

वर्ग (78)

वर्ग (79)

वर्ग (80)

वर्ग (81)

वर्ग (82)

वर्ग (83)

वर्ग (84)

वर्ग (85)

वर्ग (86)

वर्ग (87)

वर्ग (88)

वर्ग (89)

वर्ग (90)

वर्ग (91)

वर्ग (92)

वर्ग (93)

वर्ग (94)

वर्ग (95)

वर्ग (96)

वर्ग (97)

वर्ग (98)

वर्ग (99)

वर्ग (100)

| अनु. क्र. (1) | पर. क्र. (2) | व्यवस्थापक पर (3) | व्यवस्थापक (4) | वेतनमान (5) | विवरण (6) |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | अनु. क्र. (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
| 3 | व्याख्याता बरिष्ठ श्रेणी में वेतनमान | अनुक्रमिक 3 पर वर्गित समस्त पर | प्रथम 10000-15200 श्रेणी (एआईसीटीई) | अनुक्रमिक 3 पर वर्गित | अनुक्रमिक 3 पर वर्गित |
| 4 | व्याख्याता-प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान | अनुक्रमिक 3 पर वर्गित समस्त पर | प्रथम 12000-18300 श्रेणी (एआईसीटीई) | अनुक्रमिक 3 पर वर्गित | अनुक्रमिक 3 पर वर्गित |
| 5 | व्याख्याता-प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान | अनुक्रमिक 4 पर वर्गित समस्त पर | प्रथम 10000-15200 श्रेणी (एआईसीटीई) | अनुक्रमिक 4 पर वर्गित | अनुक्रमिक 4 पर वर्गित |
| 5 | व्याख्याता-प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान | अनुक्रमिक 4 पर वर्गित समस्त पर | प्रथम 12000-18300 श्रेणी (एआईसीटीई) | अनुक्रमिक 4 पर वर्गित | अनुक्रमिक 4 पर वर्गित |
| 5 | व्याख्याता-प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान | अनुक्रमिक 5 पर वर्गित समस्त पर | प्रथम 10000-15200 श्रेणी (एआईसीटीई) | अनुक्रमिक 5 पर वर्गित | अनुक्रमिक 5 पर वर्गित |
| 5 | व्याख्याता-प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान | अनुक्रमिक 5 पर वर्गित समस्त पर | प्रथम 12000-18300 श्रेणी (एआईसीटीई) | अनुक्रमिक 5 पर वर्गित | अनुक्रमिक 5 पर वर्गित |

1. सहायक प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान
 2. प्रबन्धक श्रेणी में वेतनमान

| क्र.सं. (1) | वस्तु नाम (2) | आवकत सं. (3) | आवकत सं. (4) | आवकत सं. (5) | आवकत सं. (6) | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 3. | गोमती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 4. | कम्प्यूटर एप्लिकेशन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 5. | मार्केट ऑफिस मैनेजमेंट | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 6. | वेबपूजा ऑनलाइन तथा पोसाक निम्न | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 7. | विजिलेंस प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 8. | कम्प्यूटर लाईस एंड डेवेलप | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 9. | इन्टरनेट डेवेलप एंड डिजाइन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 10. | ड्यूटी काल्वर एंड काल्वरिंग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 11. | डूड टैकालॉजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 12. | टेक्सटाईल डिजाइन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 13. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 14. | सिस्टम एनालिसिस-ग्रेड-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 15. | ग्राफिक डिजाइन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 16. | रखरखाव प्रकोट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000-18300 (एआईसीटीई) |
| 3 | व्याख्याता | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 1. | इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली. कम्युनिकेशन इंजी | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 2. | ऑफिस क्लर्क | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 3. | नर्सरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 4. | कम्प्यूटर एप्लिकेशन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 5. | मार्केट ऑफिस मैनेजमेंट | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 6. | वेबपूजा ऑनलाइन तथा पोसाक निम्न | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 7. | विजिलेंस प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 8. | कम्प्यूटर लाईस एंड डेवेलप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000-13500 (एआईसीटीई) |

9

| क्र. सं. | व्यक्ति का नाम (1) | व्यक्ति का पद (2) | व्यक्ति का पद (3) | | | | | | | | | | व्यक्ति का पद (4) | व्यक्ति का पद (5) | व्यक्ति का पद (6) | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | | |
| 9. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 10. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 11. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 12. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 13. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 14. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 15. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 16. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 17. | डॉ. ए. के. शर्मा | एडवोकेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) | |
| 3क | व्याख्याता | व्यक्ति | अनुक्रमिक 3 में वर्णित समस्त पद | | | | | | | | | | प्रथम श्रेणी | 10000-15200 (एआईसीटीई) | | | | |
| 3ख | व्याख्याता | व्यक्ति | अनुक्रमिक 3 में वर्णित समस्त पद | | | | | | | | | | प्रथम श्रेणी | 12000-18300 (एआईसीटीई) | | | | |
| 4 | प्रथमपल | व्यक्ति | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 4क | प्रथमपल | व्यक्ति | अनुक्रमिक 4 में वर्णित समस्त पद | | | | | | | | | | प्रथम श्रेणी | 10000-15200 (एआईसीटीई) | | | | |
| 4ख | प्रथमपल | व्यक्ति | अनुक्रमिक 4 में वर्णित समस्त पद | | | | | | | | | | प्रथम श्रेणी | 12000-18300 (एआईसीटीई) | | | | |
| 5 | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | व्यक्ति | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | प्रथम श्रेणी | 8000-13500 (एआईसीटीई) |
| 5क | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-व्यक्ति | व्यक्ति | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | | | | | | | | | | प्रथम श्रेणी | 10000-15200 (एआईसीटीई) | | | | |
| 5ख | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-व्यक्ति | व्यक्ति | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | | | | | | | | | | प्रथम श्रेणी | 12000-18300 (एआईसीटीई) | | | | |
| 6 | द्वितीय श्रेणी | व्यक्ति | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | द्वितीय श्रेणी | 8000-13500 (राज्य वेतनमान) |
| 2. | सिस्टम एनालिस्ट-ग्रेड-3 | व्यक्ति | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | द्वितीय श्रेणी | 8000-13500 (राज्य वेतनमान) |

सोसाइटी को अन्तर्गत रिक्त पद
(4)

पूर्व से भरे हुए पद
(3)

| अनु. क्र. | पद का नाम | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | अयोग्यता | कुल रिक्त पद | कुल भरे हुए पद |
|-----------|--|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------|--------------|----------------|
| 30. | रुस्त ईजी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | सोनेद टेकनोलॉजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | व्याख्याता :- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | सिखित ईजी. | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 36 | 3 | 21 |
| 2. | मेकनिकल ईजी. | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 45 | 1 | 27 |
| 3. | इलेक्ट्रिकल ईजी. | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 29 | 3 | 33 |
| 4. | इलेक्ट्रिकल एण्ड टेर्रा. ज्यूरिफिकेशन ईजी. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 5. | आर्किटेक्चर ईजी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | टाउन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | कानून | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 8. | प्रोडक्शन ईजी. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | कम्प्यूटर एप्लीकेशन | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10. | बोटिंगो उत्पादन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | एलाबड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | बोटिंगो प्रोफेसरी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | बोटिंगो प्रोफेसरी (सिनिमेटोग्राफी) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | बोटिंगो प्रोफेसरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | टेकनोलॉजी प्रोफेसरी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

अनुसूची-बो
(नियम 5 देखिए)

भाग-1 शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय एवं शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलिटेकनिक महाविद्यालय (महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों को छोड़कर)

क्र. सं. ज. बा. सं.

पूर्व से भरे हुए पद
(3)

सोसाइटी में अन्तर्गत रिक्त पद
(4)

| क्र. सं. | ज. बा. सं. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 तक का | उपरोक्त | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 से 15 तक | उपरोक्त | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

कुल :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

कुल संख्या :

आयुक्त इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

सहायक इकाई

अनु. क्र. पद का नाम
(1) (2)

पूर्व से भरे हुए पद
(3)

सोपानों को अन्तर्गत लिख पद
(4)

| अनु. क्र. | पद का नाम | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36. | मार्केट सर्वेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | यू-विमान | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | करल ड्रॉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | सोमिटे टेकनोलॉजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | विन्डन इन्फार्मेटिक्स प्रोड-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | प्रबंधक | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | प्रशासनिक अधिकारी | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | द्वितीय श्रेणी पद : | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | सहायक अभियंता | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | ज्यूनियर इंजीनियर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | सहायक | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | सिस्टम इन्फार्मेटिक्स प्रोड-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | अभियंता | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | अभियंता | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | अभियंता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

अनुसूची-दी
(निचम 5 देखिए)

भाग-2 शासकीय महिला पंजीटिकनिक महानिद्यालय

पूर्व से भर हए पद
(3)

सोसाइटी को असीत रिक्त पद
(4)

| अनु क्र. | पद का नाम | (1) | (2) | (3) | (4) |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | भिण्ड | | | | |
| 2 | भोपाल | | | | |
| 3 | बुरहानपुर | | | | |
| 4 | छिन्दवाड़ा | | | | |
| 5 | ग्वालियर | | | | |
| 6 | होशंगाबाद | | | | |
| 7 | इन्दौर | | | | |
| 8 | जबलपुर | | | | |
| 9 | खरगोन | | | | |
| 10 | नरसिंहपुर | | | | |
| 11 | पन्ना | | | | |
| 12 | सागर | | | | |
| 13 | साहोप | | | | |
| 1 | योग | | | | |
| 2 | भिण्ड | | | | |
| 3 | भोपाल | | | | |
| 4 | बुरहानपुर | | | | |
| 5 | छिन्दवाड़ा | | | | |
| 6 | ग्वालियर | | | | |
| 7 | होशंगाबाद | | | | |
| 8 | इन्दौर | | | | |
| 9 | जबलपुर | | | | |
| 10 | खरगोन | | | | |
| 11 | नरसिंहपुर | | | | |
| 12 | पन्ना | | | | |
| 13 | सागर | | | | |
| 14 | सीहोर | | | | |
| 15 | योग | | | | |

2. विभागवार:

| क्र. | विभाग | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1. | इंजीनियरिंग एवं टेक्निकल शिक्षण विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अकादमिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | अर्थशास्त्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | सहायक शिक्षण विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | अन्य विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

क्र. क्र. पद का नाम

पूर्व से भरने हुए पद

सोनाहटी को अन्तर्गत रिक्त पद

(1) (2)

(3)

(4)

| क्र. क्र. | पद का नाम | पूर्व से भरने हुए पद | सोनाहटी को अन्तर्गत रिक्त पद |
|-----------|------------|----------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | भिण्ड | | |
| 2 | भोगाल | | |
| 3 | दुरहानपुर | | |
| 4 | छिन्दवाड़ा | | |
| 5 | ग्वालियर | | |
| 6 | होशंगाबाद | | |
| 7 | इन्दौर | | |
| 8 | जबलपुर | | |
| 9 | खरगोन | | |
| 10 | नरसिंहपुर | | |
| 11 | पन्ना | | |
| 12 | सागर | | |
| 13 | सोहोर | | |
| 14 | योग | | |
| 15 | भिण्ड | | |
| 16 | भोगाल | | |
| 17 | दुरहानपुर | | |
| 18 | छिन्दवाड़ा | | |
| 19 | ग्वालियर | | |
| 20 | होशंगाबाद | | |
| 21 | इन्दौर | | |
| 22 | जबलपुर | | |
| 23 | खरगोन | | |
| 24 | नरसिंहपुर | | |
| 25 | पन्ना | | |
| 26 | सागर | | |
| 27 | सोहोर | | |
| 28 | योग | | |
| 29 | भिण्ड | | |
| 30 | भोगाल | | |
| 31 | दुरहानपुर | | |
| 32 | छिन्दवाड़ा | | |
| 33 | ग्वालियर | | |
| 34 | होशंगाबाद | | |
| 35 | इन्दौर | | |
| 36 | जबलपुर | | |
| 37 | खरगोन | | |
| 38 | नरसिंहपुर | | |
| 39 | पन्ना | | |
| 40 | सागर | | |
| 41 | सोहोर | | |
| 42 | योग | | |
| 43 | भिण्ड | | |
| 44 | भोगाल | | |
| 45 | दुरहानपुर | | |
| 46 | छिन्दवाड़ा | | |
| 47 | ग्वालियर | | |
| 48 | होशंगाबाद | | |
| 49 | इन्दौर | | |
| 50 | जबलपुर | | |
| 51 | खरगोन | | |
| 52 | नरसिंहपुर | | |
| 53 | पन्ना | | |
| 54 | सागर | | |
| 55 | सोहोर | | |
| 56 | योग | | |
| 57 | भिण्ड | | |
| 58 | भोगाल | | |
| 59 | दुरहानपुर | | |
| 60 | छिन्दवाड़ा | | |
| 61 | ग्वालियर | | |
| 62 | होशंगाबाद | | |
| 63 | इन्दौर | | |
| 64 | जबलपुर | | |
| 65 | खरगोन | | |
| 66 | नरसिंहपुर | | |
| 67 | पन्ना | | |
| 68 | सागर | | |
| 69 | सोहोर | | |
| 70 | योग | | |
| 71 | भिण्ड | | |
| 72 | भोगाल | | |
| 73 | दुरहानपुर | | |
| 74 | छिन्दवाड़ा | | |
| 75 | ग्वालियर | | |
| 76 | होशंगाबाद | | |
| 77 | इन्दौर | | |
| 78 | जबलपुर | | |
| 79 | खरगोन | | |
| 80 | नरसिंहपुर | | |
| 81 | पन्ना | | |
| 82 | सागर | | |
| 83 | सोहोर | | |
| 84 | योग | | |
| 85 | भिण्ड | | |
| 86 | भोगाल | | |
| 87 | दुरहानपुर | | |
| 88 | छिन्दवाड़ा | | |
| 89 | ग्वालियर | | |
| 90 | होशंगाबाद | | |
| 91 | इन्दौर | | |
| 92 | जबलपुर | | |
| 93 | खरगोन | | |
| 94 | नरसिंहपुर | | |
| 95 | पन्ना | | |
| 96 | सागर | | |
| 97 | सोहोर | | |
| 98 | योग | | |
| 99 | भिण्ड | | |
| 100 | भोगाल | | |

4. नरसिंहपुर

5. शारदादेवी

6. द्वितीय श्रेणी

1. श्रेणी

2. निम्न श्रेणी

1-3

अनुसूची-तीन

(नियम 7 देखिए)

नाम-1 शास्त्री संतोष चन्द्रिका महाविद्यालय एवं शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलोटैकनिक महाविद्यालय (महिला पंजी: कनिष्ठ महाविद्यालयों को छोड़कर)

| अनुक्रमिक क्रमांक | विभाग का नाम | पद का नाम | कर्तव्य पद जो सरकार द्वारा पूर्व में भरे गए हैं | कर्तव्य पद जो सांसादी/संस्था को प्रबंधन समिति द्वारा भरे जाने पदों को प्रबंधन (6) | सिधे चयन के माध्यम से सांसादी/प्रबंधन समिति द्वारा भरे जाने पदों को प्रबंधन (6) | दृश्यत्व |
|-------------------|--------------|-----------|---|---|---|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

कर्मचारी श्रेणी एवं प्रशिक्षण

1. प्राचार्य: 16

विभागाध्यक्ष: 13

1. लिबिल इजी. 1
2. निकानकरा इजी. 2
3. इलाम्बिकल इजी. 4
4. इन्व्हेनिक्स एण्ड टेली. कम्युनिकेशन इजी. 0
5. आटोमोबाइल इजी. 0
6. टाउन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर. 2
7. फार्मल. 0
8. प्रोडक्शन इजी. 0
9. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 0
10. एरसाइड वीडियोग्राफी 0
11. रवतखान प्रकोष्ठ 1
12. अनुसूक्त यांत्रिकी 0
13. कर्मचारी इजी. 0
14. टेक्स्टाइल टेक्नालोजी 0
15. मार्टिन ऑफिस मैनेजमेंट 0
16. प्रिंटिंग टेक्नालोजी 1

15 150%
23 100%
20 100%
6 100%
1 100%
1 100%
0 100%
1 100%
1 100%
2 100%
1 100%
1 100%
1 100%
2 100%
1 100%

16. माइक्रो प्रोजेक्ट मंजूरि

| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|------|-----|
| 17. | प्रिंटिंग टेक्नालाजी | 3 | 2 | 100% | |
| 18. | कम्प्यूटर सांशंस एण्ड ईजी. | 0 | 16 | 100% | |
| 19. | रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स. | 2 | 2 | 100% | |
| 20. | भौतिक शास्त्र | 14 | 18 | 100% | |
| 21. | रसायन शास्त्र | 15 | 12 | 100% | |
| 22. | गणित | 13 | 20 | 100% | |
| 23. | अंग्रेजी | 11 | 17 | 100% | |
| 24. | इंजीनियरी रसायन | 1 | 6 | 100% | |
| 25. | वनस्पति शास्त्र | 1 | 0 | 100% | |
| 26. | प्लास्टिक टेक्नालाजी | 0 | 3 | 100% | |
| 27. | मैक्रोफेक्चरांग ईजी. | 0 | 5 | 100% | |
| 28. | इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स | 0 | 5 | 100% | |
| 29. | मैक्रोट्रानिक्स | 0 | 4 | 100% | |
| 30. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 15 | 100% | |
| 31. | रेफरीजरेशन एण्ड एयरकंडिशनिंग. | 0 | 4 | 100% | |
| 32. | प्रशिक्षण एवं त्यानन अधिकारी ग्रेड-2 | 1 | 8 | 100% | |
| 33. | वीडियो रिकार्डिस्ट | 1 | 0 | 100% | |
| 34. | आलेखक | 0 | 1 | 100% | |
| 35. | माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग. | 4 | 6 | 100% | |
| 36. | माइन सर्वेइंग | 0 | 2 | 100% | |
| 37. | पू-विज्ञान | 1 | 1 | 100% | |
| 38. | रुत्त ईजी. | 0 | 3 | 100% | |
| 39. | सीमेंट टेक्नालाजी | 0 | 4 | 100% | |
| 40. | सिस्टम एनालिस्ट ग्रेड-2. | 0 | 16 | 100% | |

वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-3 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.

अनुक्रमांक 3 में वर्णित समस्त पद

व्याख्याता वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान

प्रवर श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-2 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.

अनुक्रमांक 3 में वर्णित समस्त पद

व्याख्याता प्रवर श्रेणी वेतनमान

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|
| प्रथम | प्रथम | प्रथम | 16 | 14 | 100% | प्रवर श्रेणी प्रथम के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-4 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। |
| द्वितीय | द्वितीय | द्वितीय | अनुक्रमिक 4 में वर्णित समस्त पद | अनुक्रमिक 4 में वर्णित समस्त पद | | प्रवर श्रेणी प्रथम के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-5 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। |
| तृतीय | तृतीय | तृतीय | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | 100% | द्वितीय श्रेणी प्रथम के रूप में रखने के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-6 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। |
| चतुर्थ | चतुर्थ | चतुर्थ | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | | प्रवर श्रेणी प्रथम के रूप में रखने के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-7 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। |
| पंचम | पंचम | पंचम | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | अनुक्रमिक 5 में वर्णित समस्त पद | 100% | |

द्वितीय श्रेणी पद :

1. न्यायिक कर्मचारी अधिकारी 19 3 100%
2. लीडिंग प्रोफर 0 1 100%
3. प्रोफेसर 10 13 100%
4. सिस्टम एनालिस्ट ग्रेड-3 0 1 100%
5. कैम्पेसिन 1 0 100%
6. कलाकार 1 0 100%
7. असिस्टेंट सर्जन 0 1 100%

अनुसूची-तीन

(नियम 7 देखिए)

भाग-2 शासकाय महिला पोलिटिकल महाविद्यालय

| विभाग का नाम | पद का नाम | कर्तव्य पद जो सरकार द्वारा पूर्व में भरे गए हैं | कर्तव्य पद जो संस्था की प्रबंधन समिति को अस्तित्व दिए गए हैं | सीधे चयन के माध्यम से सोसाइटी/प्रबंधन समिति द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | टिप्पणियां |
|--------------|-----------|---|--|--|------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण :

प्राचार्य :

9

4

100%

विभागाध्यक्ष :

1. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली. कम्यूनिकेशन इंजी.
2. आकटिक्चर
3. फार्मसी
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन
5. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट
6. वेपथूसा अभिकल्पन तथा पोषाक निर्माण
7. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी
8. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी.
9. इन्डोरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन
10. ड्रयंग कल्चर एण्ड कान्स्ट्रक्शनालीजी
11. फूड टेक्नोलॉजी
12. टेक्सटाइल डिजाइन
13. सूचना प्रौद्योगिकी
14. सिस्टम एनालिस्ट ग्रेड-1
15. गारमेंट टेक्नोलॉजी
16. एंटरप्राइज अकाउंट

- 0 7 100%
 0 3 100%
 0 1 100%
 0 1 100%
 5 6 100%
 2 5 100%
 0 2 100%
 0 3 100%
 0 3 100%
 0 1 100%
 0 1 100%
 0 1 100%
 0 5 100%
 0 2 100%
 0 1 100%
 0 1 100%

| (2) | (3) - | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|

व्याख्याता :-

| | | | | |
|-----|---|----|----|------|
| 1. | इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली. कम्युनिकेशन इंजी. | 11 | 17 | 100% |
| 2. | आर्किटेक्चर | 7 | 4 | 100% |
| 3. | फार्मसी | 0 | 4 | 100% |
| 4. | कम्प्यूटर एप्लीकेशन | 0 | 4 | 100% |
| 5. | मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट | 12 | 24 | 100% |
| 6. | वेधभूषा अभिकल्पन तथा योजनाक-निर्माण | 8 | 12 | 100% |
| 7. | विकिर्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी | 0 | 5 | 100% |
| 8. | कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी. | 3 | 11 | 100% |
| 9. | इन्टीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन | 3 | 7 | 100% |
| 10. | रसायन शास्त्र | 1 | 2 | 100% |
| 11. | गणित | 5 | 3 | 100% |
| 12. | अंग्रेजी | 6 | 2 | 100% |
| 13. | व्यूटी कल्चर एण्ड कार्सोटोलाजी | 1 | 2 | 100% |
| 14. | फूड टेक्नोलॉजी | 0 | 4 | 100% |
| 15. | टेक्सटाइल डिजाइन | 0 | 4 | 100% |
| 16. | सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 15 | 100% |
| 17. | गारमेन्ट टेक्नोलॉजी | 0 | 3 | 100% |

व्याख्याता वारिष्ठ श्रेणी केतनमान

अनुक्रमांक 3 पर वर्णित समस्त पद

व्याख्याता प्रथम श्रेणी नेतनमान

अनुक्रमांक 3 पर वर्णित समस्त पद

वारिष्ठ श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-3 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

प्रथम श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-2 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

100%

4

5

प्रथम

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--|-----|---------------------------------|-----|------|--|
| 4क | प्रथम-वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान | | अनुक्रमांक 4 पर वर्णित समस्त पद | | | वरिष्ठ श्रेणी प्रथमाल के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-4 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा. |
| 4ख | प्रथम-प्रथम श्रेणी वेतनमान | | अनुक्रमांक 4 पर वर्णित समस्त पद | | | प्रथम श्रेणी प्रथमाल के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-5 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा. |
| 5 | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक | | 5 | | 100% | |
| 5क | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-द्वितीय श्रेणी वेतनमान | | अनुक्रमांक 5 पर वर्णित समस्त पद | | | वरिष्ठ श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-6 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा. |
| 5ख | शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-प्रथम श्रेणी वेतनमान | | अनुक्रमांक 5 पर वर्णित समस्त पद | | | प्रथम श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-7 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा. |
| 6 | द्वितीय श्रेणी पद | | | | 100% | |
| | 1. प्रथम | | 9 | 0 | | |
| | 2. निम्न एनालिटि पद-3 | | 1 | 0 | 100% | |

टिप्पण-7— शारीरिक शिक्षण अधिनियम, 1961 के बरिष्ठ केलानाम में कार्यरत हो, "प्रवर श्रेणी पदनामान" में स्थान के लिए पात्र होगा, यदि—
 1. उसमें बरिष्ठ वेतनामान में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
 2. उसमें पी. एच. डी. की उपाधि अभिप्राप्त की हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया.
 3. उसका पिछले पांच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-8.— व्याख्याता वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी प्रथमपाल से प्रथमपाल-वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी तथा शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक से शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये धारित तत्सम्बन्धी नवीं का क्रमानुगत कर दिया जायेगा. ऐसा स्थान स्वीकृति प्रक्रिया से एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निर्माकित सदस्य होंगे :-

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

- | | |
|--|---------|
| 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण | अध्यक्ष |
| 2. संचालक, तकनीकी शिक्षा | सदस्य |
| 3. स्वशासन/सामुदायिक/पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य | सदस्य |
| 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि | सदस्य |

सोसाइटी द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

- | | |
|--|------------|
| 1. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. संचालक, तकनीकी शिक्षा अथवा उसका नाम निर्देशित, जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो. | सदस्य |
| 3. उस विश्वविद्यालय का कुलपति, जिससे संस्था संबद्ध है | सदस्य |
| 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. संकेचित संस्था का प्राचार्य | सदस्य-सचिव |

अनुसूची-चार
(नियम 8 देखिए)

| विभाग का नाम | पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव | टिप्पणियाँ |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग. | 1. प्राचार्य (तकनीकी). | | 60 वर्ष | 1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि, प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर अथवा स्नातक उपाधि के साथ; और 2. 15 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. या 1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/टैकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. की उपाधि; और 2. 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 3 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. | नोट.—उद्योग/उद्योग से जुड़े, ऐसे उद्योग/उद्योगों में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ; और 2. 15 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. या 1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/टैकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. की उपाधि; और 2. 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 3 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. |
| | 2. विभागाध्यक्ष (तकनीकी). | | 50 वर्ष | 1. मायता प्राय विषयविद्यारथ/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और | या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. शेष अवधि का उद्योग/उद्योग इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में अनुभव होना चाहिए. पत्र होंगे. निम्न संकायों के लिए नाम :- 1. आर्किटेक्चर 2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|---|---------|-----|-----|--|
| | | | | | |
| 3. प्रोत्साहन एवं स्थान | अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी (तकनीकी) | 50 वर्ष | | | 3. केमीकल इंजीनियरिंग |
| 4. विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी (तकनीकी) | 50 वर्ष | | | | 4. सिविल इंजीनियरिंग |
| 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोल्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए. | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीकीय शिक्षा के उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और | 50 वर्ष | | | 5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग |
| | 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोल्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए. | 50 वर्ष | | | 6. इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग |
| | | | | | 7. मैकेनिकल इंजीनियरिंग |
| | | | | | 8. माइन सर्वेइंग |
| | | | | | 9. माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग |
| | | | | | 10. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग |
| | | | | | 11. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी |
| | | | | | इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में बुनियादी उपाधि प्राप्त अभ्यास प्राप्त होंगे. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1)

(5)

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि;
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से यूटी/शिवान/यूटी/अन्य कॉलेज/संस्थानों में न्यूनतम दो वर्षों की उपाधि का प्रथम श्रेणी में परीक्षा (डिप्लोमा); और
3. यूटी/शिवान/यूटी/अन्य कॉलेजों/संस्थानों के क्षेत्र में 8 वर्षों का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का अध्यापन अनुभव या 5 वर्षों के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्षों का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष उपाधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/प्रशिक्षण में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सीमित टेकनॉलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर परीक्षा के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि;

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/मैकेनिकल विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि; और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर सीमित टेकनॉलॉजी विषय में 5 वर्षों का अध्यापन अनुभव या 5 वर्षों के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्षों का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का सीमित टेकनॉलॉजी विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष उपाधि का संबंधित विषय का उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेकनॉलॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ उक्त विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्षों का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्षों के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष उपाधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा चरित्रानिर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.) के साथ एपिए.डी. उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्षों का अध्यापन अनुभव या 5 वर्षों के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्षों का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में

(2)

(3)

(4)

50 वर्ष

5. विभागाध्यक्ष, यूटी/कलेज एवं कॉलेजों/संस्थानों (गैर-तकनीकी).

50 वर्ष

6. विभागाध्यक्ष, सीमित टेकनॉलॉजी (तकनीकी).

50 वर्ष

7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (तकनीकी).

50 वर्ष

8. विभागाध्यक्ष, वेस्त्यूबल, अधिकल्पन तथा पोषाक निर्माण (गैर-तकनीकी).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए या

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किन्हीं विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वैशेष्य अभिकल्पन तथा परिधान डिजाइन में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव; और
2. संबंधित विषय में 8 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/प्रशिक्षण में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए।

9. विभागाध्यक्ष,

फूड टेक्नोलॉजी
(गैर-तकनीकी)

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फूड टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर फूड टेक्नोलॉजी विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का फूड टेक्नोलॉजी विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

10. विभागाध्यक्ष,

गारमेंट टेक्नोलॉजी
(गैर-तकनीकी)

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से गारमेंट टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से क्लॉथिंग/रिटेंट टेक्नोलॉजी विषय में प्रथम श्रेणी में एम. एससी.; और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए या

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में गारमेंट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि, या

(e)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा किंग्स कॉलेज
टेम्बलॉजी/कार्टरूम डिप्लोमा एवं डेस मेकिंग में प्रथम श्रेणी में तीन सार्वीय परीक्षाएँ;
और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के
कुल अनुभव में से न्यूनतम 5 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन
का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/कीलर/ट्रेनिंग/शोध कार्य
में अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में प्रथम श्रेणी
में स्नातकोत्तर उपाधि में साथ इंटरमीडिएट/इंग्लिश/अन्य एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इंजीनियरिंग
एवं इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की शाखा में स्नातक उपाधि; और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल
8 वर्ष के कुल अनुभव में से 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में
अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/कीलर/ट्रेनिंग/शोध कार्य में
अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन में प्रथम श्रेणी
में स्नातक उपाधि,
या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ इंटीरियर
डेकोरेशन एवं डिजाईन विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय प्रौद्योगिकी और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 8 वर्ष का इंटीरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव
या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 5 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त
विषय के अध्यापन का अनुभव होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय
में उद्योग/कीलर/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से ऑर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन एवं
डिजाईन विषय के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में ऑर्किटेक्चर
शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन विषय के साथ नुनियामी उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का इंटीरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव
या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का
उपरोक्त विषय के अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय
में उद्योग/कीलर/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

विभागाध्यक्ष,
इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक्स
(तकनीकी)

विभागाध्यक्ष,
इंटीरियर डेकोरेशन
एवं डिजाईन
(नॉन-तकनीकी)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

13. विभागाध्यक्ष,
सूचना प्रौद्योगिकी
(तकनीकी).

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ उक्त विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का ई-कॉन्टेंट चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फ़ैक्ट्री/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

14. विभागाध्यक्ष,
मेन्यूफैक्चरिंग
इंजीनियरिंग
(तकनीकी).

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मेन्यूफैक्चरिंग/प्रोडक्शन/रोबोटिक्स/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मेन्यूफैक्चरिंग/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का प्रोडक्शन/रोबोटिक्स/मेन्यूफैक्चरिंग/मैकेनिकल विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उद्योग/फ़ैक्ट्री/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

15. विभागाध्यक्ष,
मेकैट्रॉनिक्स
(तकनीकी).

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मेकैट्रॉनिक्स/प्रोडक्शन/मेन्यूफैक्चरिंग/इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक में प्रोडक्शन/ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स/मेन्यूफैक्चरिंग/मैकेनिकल/इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फ़ैक्ट्री/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

16. विभागाध्यक्ष,
चिकित्सा प्रयोगशाला
प्रौद्योगिकी
(निर-तकनीकी).

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बायो केमिस्ट्री या वेस्टेरीयोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में एन. बी. एस.; और

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव का कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोर्लड/ट्रेनिंग कार्य में अनुभव होना चाहिए।

या
1. मान्यता प्राप्त विरवाविद्यालय/संस्था से विक्रुति विज्ञान में प्रथम श्रेणी में एम.डी., और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव का कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 2 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोर्लड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

17. विभागाध्यक्ष, - 50 वर्ष

मार्डन ऑफिस
मैनेजमेंट
(गैर-तकनीकी)

18. विभागाध्यक्ष, - 50 वर्ष

रिफायनरी एण्ड
पेट्रोकेमिकल्स
(तकनीकी)

19. विभागाध्यक्ष, - 50 वर्ष

औषधि विज्ञान
(फार्मसी)
(तकनीकी)

1. मान्यता प्राप्त विरवाविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में पीएच.डी. उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट/मार्डन ऑफिस प्रिक्टिस/सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टैटोग्राफी/इतार्मार्शल प्रैक्टिस विषय में अथवा अनुभव का कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट/मार्डन ऑफिस प्रैक्टिस/सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टैटोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोर्लड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विरवाविद्यालय/संस्था से कमिक्ल/पेट्रोकेमिकल्स/पेट्रोलियम इंजिनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ उक्त विषयों में से एक में स्नातक उपाधि; और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोर्लड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विरवाविद्यालय/संस्था से पी. फार्मा की बुनियादी उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में एम. फार्मा; और

2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोर्लड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में स्थापित स्तर का अनुभव होना चाहिए।

(6)

(5)

(3) - 50 वर्ष

(2)

20. विभागाध्यक्ष,
मुद्रण प्रौद्योगिकी
(तकनीकी)

1. मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल/विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.

21. विभागाध्यक्ष,
प्रौद्योगिकी एण्ड
एवा/कंडक्टरिंग
(तकनीकी)

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रौद्योगिकी एवं एवा/कंडक्टरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

22. विभागाध्यक्ष,
टेक्सटाइल डिजाइन
(नॉन तकनीकी)

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टेक्सटाइल डिजाइन/टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

23. विभागाध्यक्ष,
कम्प्यूटर एप्लीकेशन
(नॉन तकनीकी)

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टेक्सटाइल केपेस्ट्री विषय में प्रथम श्रेणी में एम.एससी.; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.

(3) - 50 वर्ष

(2)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

26. विभागाध्यक्ष,
रख-रखाव प्रकोष्ठ
(तकनीकी). 50 वर्ष
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बुनियादी उपाधि; और
 - डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोल्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.
27. विभागाध्यक्ष,
एप्लाइड विडियोग्राफी
(गैर-तकनीकी). 50 वर्ष
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में उपाधि; और
28. कर्मचाली
अधीक्षक,
(तकनीकी). 50 वर्ष
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन/मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और
 - डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फोल्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.
29. तंत्र विरलेपक,
(सिस्टम एनालिस्ट,
ग्रेड-1). 50 वर्ष
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में बुनियादी स्नातक उपाधि या
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पीएच.डी.; और
2. शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/संगठन के कम्प्यूटर केंद्रों में कार्य करते का 5 वर्ष का अनुभव.

(1)

(2)

(3)

(4)

30. उप संचालक, (एल.आर.डी.सी.) (तकनीकी) 50 वर्ष
 1. मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रायोगिक/प्रौद्योगिकी/तकनीकी शिक्षण विशेष को उपयुक्त है जो प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा माध्य में इंजीनियरिंग को उपयुक्त है जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है।
 2. डिप्लोमा/डिग्री - तब पर उपयुक्त डिग्री में 5 वर्ष का अनुभव अनुभव का 5 वर्ष के कुल अनुभव में से अधिकतम 3 वर्ष का डिप्लोमा/डिग्री का रहा का उपयुक्त नियम में अध्यापक का अनुभव तथा को अर्थात् का संबंधित विषय में उदाहरण/आप्ट/पुस्तिका शोध कार्य में सम्पन्न कर का अनुभव होना चाहिए।

31. व्याख्याता, (तकनीकी) 21 वर्ष 35 वर्ष
 मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रायोगिक/प्रौद्योगिकी को सम्पन्न शाखा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।

32. प्रशिक्षण एवं स्थान अधिकारी, ग्रेड-2, (तकनीकी) 21 वर्ष 35 वर्ष
 मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रायोगिक को सम्पन्न शाखा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।

- निम्न संकायों के लिए नाम:-
1. आर्टिस्टिक
 2. अटोमोबाइल इंजीनियरिंग
 3. केमिकल इंजीनियरिंग
 4. सिविल इंजीनियरिंग
 5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
 6. इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
 7. निकमिकल इंजीनियरिंग
 8. माइन सर्वेइंग
 9. मेटल/एण्ड/मैटल सर्वेइंग
 10. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
 11. टेक्सटाइल टेक्नॉलॉजी

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--------|---------|--|---|
| 33. | व्याख्याता, विद्यापीठ/कॉलेज/इंस्टीट्यूट (गैर-तकनीकी) | 21 इंच | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में मानविकी/विज्ञान की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ मानविकी/विज्ञान की समुचित शाखा में न्यूनतम 55% अंको के सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट (National Eligibility Test) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। | निम्न विषयों के लिये 1. भारतीय शास्त्र 2. सायन शास्त्र/ इंजीनियरिंग रसायन 3. गणित 4. उर्ध्वजी 5. इ-विज्ञान 6. वनस्पति विज्ञान. |
| 34. | व्याख्याता, व्यूटी कलेज एवं कॉलेजोत्तरजी (गैर-तकनीकी) | 21 इंच | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से व्यूटीशियन/व्यूटी, कल्चर/कास्मेटोलॉजी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा); और 3. व्यूटीशियन/व्यूटी कल्चर/कास्मेटोलॉजी के क्षेत्र में 2 वर्ष का शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक अनुभव. | |
| 35. | व्याख्याता, सीमेंट टेक्नोलॉजी (तकनीकी) | 21 इंच | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/केमिकल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. वांछनीय—सीमेंट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि. | |
| 36. | व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (तकनीकी) | 21 इंच | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. | |
| 37. | व्याख्याता, वैद्यभूत अभिकल्पन तथा वैद्यक विज्ञान (गैर-तकनीकी) | 21 इंच | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वैशभूषा अभिकल्पन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. | |
| 38. | व्याख्याता, फूड टेक्नोलॉजी (गैर-तकनीकी) | 21 इंच | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फूड टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. | |

(1) (2) (3) (4) (5)

39. व्याख्याता,
गारमेट टेक्नोलॉजी
(गैर-तकनीकी). 21 वर्ष 35 वर्ष

मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.
या
मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से क्राफ्टिंग/गारमेट टेक्नोलॉजी प्रिन्सिपल एम.एससी.
या

1. मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में गारमेट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर पत्रापाधि के रूप में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.
या
मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा अंतरगत गारमेट टेक्नोलॉजी/क्राफ्टिंग/डिजाइनिंग एवं ड्रेसिंग में भाग्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से तीन वर्षों में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और
2. दो वर्षों का स्नातक विषय में उद्योग/कॉलेज/प्रशिक्षण में अनुभव होने चाहिए.

40. व्याख्याता,
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स
(तकनीकी). 21 वर्ष 35 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंडस्ट्रियल/ऑटोमोबिलिटी की शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.
या

2. दो वर्षों का स्नातक विषय में उद्योग/कॉलेज/प्रशिक्षण में अनुभव होने चाहिए.

41. व्याख्याता,
इंटरियर डेकोरेशन
एवं डिजाइन
(गैर-तकनीकी). 21 वर्ष 35 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षों तक पत्रापाधि, और
2. दो वर्षों का स्नातक विषय में उद्योग/कॉलेज/प्रशिक्षण में अनुभव होने चाहिए.

42. व्याख्याता,
सूचना प्रौद्योगिकी
(तकनीकी). 21 वर्ष 35 वर्ष

मान्यता प्राप्त विज्ञान विद्यालय/संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 43. | ब्याख्याता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वकानोकां) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भूयुक्तविद्यार्थि/इंडस्ट्रियल/मेकेनिकल/प्रोडक्शन/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. | |
| 44. | ब्याख्याता, नेकट्टीनिक्स (वकानोकां) | 22 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रोडक्शन/आटोमेशन एवं रोबोटिक्स/भूयुक्तविद्यार्थि/मेकेनिकल/इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इस्ट्रुमेण्टेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. | |
| 45. | ब्याख्याता, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (पैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बायो केमिस्ट्री या बैक्टीरियोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, | |
| 46. | ब्याख्याता, मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट (पैर-तकनीकी) | 22 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. वांछनीय—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था के कम्प्यूटर उपयोग में न्यूनतम एक वर्षीय पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि. | |
| 47. | ब्याख्याता, मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट (स्टेनोग्राफी) (पैर-तकनीकी) | 22 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट/मार्डन ऑफिस प्रैक्टिस/सेक्रेटारियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/कामर्सियल प्रैक्टिस विषय में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि. | |
| 48. | ब्याख्याता, रिजर्वरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स (वकानोकां) | 22 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोग में न्यूनतम एक वर्षीय पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से केमिकल/पेट्रोकैमिकल/पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. | |

(1) (2) (3) (4) (5)

49. व्याख्याता, 21 वर्ष 35 वर्ष
 औपधि विज्ञान
 (फार्मसी)
 (तकनीकी).
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में फार्मसी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में फार्मसी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ तीन वर्ष का अनुभव.
50. व्याख्याता, 21 वर्ष 35 वर्ष
 प्लास्टिक
 टेक्नोलॉजी
 (तकनीकी).
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में प्लास्टिक/पॉलिमर इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी डिप्लोमा में स्नातक उपाधि के साथ प्लास्टिक/पॉलिमर इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि.
51. व्याख्याता, 21 वर्ष 35 वर्ष
 पुराण प्रौद्योगिकी
 (तकनीकी).
 मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल/विश्वविद्यालय में पुराण प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में उपाधि.
52. व्याख्याता, 21 वर्ष 35 वर्ष
 रेओजोरेशन एण्ड
 एयरकंडीशनिंग
 (तकनीकी).
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में रेओजोरेशन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर एवं एयरकंडीशनिंग विषय के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.
53. व्याख्याता, 21 वर्ष 35 वर्ष
 टेक्सटाइल डिजाइन
 (गैर-तकनीकी).
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में टेक्सटाइल डिजाइन/टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि,
 या
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में टेक्सटाइल केनेट्री विषय में प्रथम श्रेणी में एम. एससी.
54. व्याख्याता, 21 वर्ष 35 वर्ष
 कम्प्यूटर एप्लीकेशन
 (गैर-तकनीकी).
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर उपयोगन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि,
 या
 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर ग्राफिक्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर ग्राफिक्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में

साथ कम्प्यूटर टेकनॉलॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर ग्राफिक्स में

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| 55. व्याख्याता, ए (ए) इंजीनियरिंग (गैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक डिग्री/डॉक्टोरेट/मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक डिग्री/डॉक्टोरेट/मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के अतिरिक्त प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर/उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष उपाधि। |
| 56. व्याख्याता, दाखन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर उपाधि/समकक्ष (जिले काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मान्यता प्रदान की है) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। |
| 57. व्याख्याता, एलाइट वीडियोग्राफी (गैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भौतिक विज्ञान/सायन शास्त्र में स्नातक श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर में प्रथम श्रेणी में उपाधि, और 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एल.ई.डि. वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि के साथ तीन वर्षों का अध्यापन तथा वा. व्यावसायिक अनुभव। |
| 58. व्याख्याता, वीडियो उत्पादन (गैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हिन्दी चित्र/चित्रकारी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ एलाइट वीडियोग्राफी/वीडियो ग्राफिक्स में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से जनसम्पर्क कलेस निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, और 2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में निर्देशक/निर्देशक के रूप में अनुभव, या दो वर्षों का अनुभव दूरदर्शन निर्माण में या ट. व. संस्था से मिले कलेस का अनुभव। |

(6)

(5)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|---------|---------|---|
| 59. | व्याख्याता, चल-चित्रकारी (सिनेमेटोग्राफी) (गैर-तकनीकी) | :: वर्ष | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और 2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फिल्म निर्देशन/चल-चित्रकारी/एलाइड वीडियो/ग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. टिप्पणी.—एसे अभ्यर्थियों को अधिमम दिया जाएगा जिनके पास फिल्म निर्देशन/चल-चित्रकारी का अनुभव हो। |
| 60. | व्याख्याता, वीडियो ग्राफोगिकी (गैर-तकनीकी) | :: वर्ष | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता के साथ भौतिक शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. किसी भी दूरदर्शन स्टूडियो में निर्देशन या वीडियो तथा ऑडियो उपकरणों के रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव। |
| 61. | व्याख्याता, वीडियो रिकार्डिस्ट (गैर-तकनीकी) | :: वर्ष | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी में उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित टी.वी./वीडियो स्टूडियो में दो वर्ष के कार्य का अनुभव. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से चलचित्र/एलाइड वीडियो/ग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि और सम्पादन/ध्वनि अभिलेखन में विशेषज्ञता तथा साथ में तीन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव। |
| 62. | आलेखक (गैर-तकनीकी) | :: वर्ष | 35 वर्ष | 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से हिन्दी/अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से आलेखन/नाटक/टी.वी. प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन) में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि और साथ ही किसी प्रतिष्ठित संस्था में आलेखक/निर्देशक/अभिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव. या किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से फिल्म/कन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और साथ में किसी प्रतिष्ठित संस्था में आलेखक/निर्देशक/अभिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---------|---------|---|-----|-----|
| 63. वीडियोग्राफर, (गैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ वीडियो प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन)/एखाइड वीडियो प्रोडक्शन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर दो वर्षीय पत्रोपाधि. टिप्पणी.—वीडियो केमरा के संचालन का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा. | (6) | |
| 64. कैमरामैन, (गैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ वीडियो प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन)/एखाइड वीडियो प्रोडक्शन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर दो वर्षीय पत्रोपाधि. | | |
| 65. कलाकार, (गैर-तकनीकी) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | टिप्पणी.—वीडियो केमरा के संचालन का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा. | | |
| 66. सहायक कर्मशाला अधीक्षक | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से अनुप्रयुक्त स्तर में विशेषज्ञता स्तर में प्रथम श्रेणी में ललित एवं अनुप्रयुक्त कला में पंचवर्षीय स्नातकोपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से रेखांकन एवं चित्रकारी में विशेषज्ञता स्तर में प्रथम श्रेणी में ललित तथा अनुप्रयुक्त कला में पंचवर्षीय स्नातकोपाधि. | | |
| 67. तंत्र विरलेपक (सिस्टम एनालिस्ट, श्रेणी-2) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजिनियरिंग/इलेक्ट्रिकल/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर उपयोग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/संगठन के कम्प्यूटर केंद्रों में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव. | | |

68. तंत्र विश्लेषक
(सिस्टम एनालिस्ट,
श्रेणी-3).

21 वर्ष 35 वर्ष

69. कार्यक्रमक
(प्रोग्रामर).

21 वर्ष 35 वर्ष

70. प्रथमपाल 21 वर्ष 35 वर्ष

71. शारीरिक व्यायाम
प्रशिक्षक. 21 वर्ष 35 वर्ष

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंग्लिश में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होना प्रार्थनापूर्वक में प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होना।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उत्तीर्ण के बाद कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंग्लिश में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होना प्रार्थनापूर्वक में प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होना।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उत्तीर्ण के बाद कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातक उत्तीर्ण होना।
2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तिका उपक्रम/संगठन के कम्प्यूटर विभाग में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव।

1. इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संशोधन आयोग से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होना चाहिए।
2. पुस्तकालय विभाग/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में कम से कम 55 प्रतिशत स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा उसके समतुल्य व्यावसायिक उत्तीर्ण होना।

1. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) अथवा उच्चतम स्नातकोत्तर डिग्री (स्पोर्ट्स) में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा उसके समतुल्य उत्तीर्ण होना।
2. अंतर-विश्वविद्यालय, अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यालय का अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।
3. शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य किसी द्वारा संघीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए।

29
728 (55)

No. F-1-LIX-2003-13-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government hereby makes the following rules relating to recruitment and other conditions of service of Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "AICTE", means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987);
- (b) "Appointing Authority" in respect of the persons who, at the commencement of these rules are holding substantively the posts mentioned in Column (3) to (7) of Schedule II means the Government and in respect of the posts shown in Column (8) to (12) of Schedule II as transferred to the Society/Institute, means the Board of Governors of the Society/Prabandhan Samiti of the institute;
- (c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the Society;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Institute" means Polytechnic College whose management is vested in the Prabandhan Samiti vide State Government Notification No. F. 49-42-1-2001, dated 12th July 2001;
- (f) "Other Backward Classes" means other backward classes of citizens as specified by the State Government in their Notification No. F. 8-5-25-4-84 dated 26th December 1984 as amended from time to time;
- (g) "Prabandhan Samiti" means the Prabandhan Samiti of the Polytechnic College registered under the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);
- (h) "Schedule" means the various Schedules mentioned in these Rules;
- (i) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part or a group within a caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (j) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part or group within a tribe or tribal community specified as schedule tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (k) "Selection Committee" means the Selection Committee mentioned in Schedule III;
- (l) "Service" means Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service;
- (m) "Society" means the Society of the Polytechnic college as registered under the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

- (a) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule II shall constitute a Dying Cadre;
- (b) Persons recruited to the Service before commencement of these rules; and
- (c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the Service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the posts relinquished by the Government servant on retirement, resignation, death etc. shall be transferred to the Society/Prabandhan Samiti of the Polytechnic College.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the Service after commencement of these Rules shall be made by selection through direct recruitment,

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage of posts shown in Schedule III of the duty posts as specified in Schedule I,

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Society/Prabandhan Samiti, the exigencies of the Service so required, the Society/Prabandhan Samiti may with prior concurrence of the Government, adopt such other methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—The Appointing Authority shall make all appointments to the Service after the commencement of these Rules and such appointments shall not be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible to compete at the selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

- (i) **Age.**—(a) (i) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule IV and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection.
- (ii) No candidate who has married before the minimum age fixed for marriage shall be eligible for appointment to a service or post.
- (iii) No candidate who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January, 2001 shall be eligible for appointment to a service or posts.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the condition specified below —

A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of his State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his resignation at the employment or of application made otherwise for employment in Government service.

- (d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) Completion of short term engagement; and (b) fulfilling the conditions of enrolment;
 - (3) Ex-employees of Madras Civil Unit;
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (6) Ex-servicemen who are removed from service due to disability;
 - (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account to gunshot, wounds, etc.
- (e) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for women candidates in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions of Appointment of Women) Rules, 1997;
- (f) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
- (g) The General upper age limit shall be 55 years in respect of widow, distitute, and divorced women candidates.
- (h) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 2 years for those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme.
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.
- (j) The general upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of "Vikrama Award" holder candidates.
- (k) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note.— Departmental candidates must obtain previous permissions of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) Educational Qualifications — He must possess such educational qualifications as prescribed for the service in Schedule IV.

(3) Fees.—He must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by means shall disqualify him for selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination and/or interview.

11. **Direct recruitment by Selection.**—(1) Selection for recruitment to the service, shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(2) Selection of candidates for the service shall be made by the Board of Governors/Prabandhan Samiti by the process of written examination and/or interview.

(3) Appointments to various posts specified in Schedule I shall be governed by the law or rules for reservation such as,—

- (a) Posts shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichha Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994). Roster for this purpose shall be maintained at the Institute level.
- (b) Reservation for women candidates shall be applicable as per provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision of appointment of Women) Rules, 1997.
- (c) Reservation for the physically challenged candidates shall be applicable as per instructions issued by the State Government.

12. **List of candidates recommended for appointment.**—(1) The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority of the concerned Polytechnic College a list, arranged in order of merit of the candidates, who have qualified for a particular service/post by such standard, as the Appointing Authority may determine. The names of selected candidates shall also be published for general information.

(2) Selection Committee shall prepare separate lists of candidates belonging to various categories such as General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes etc.

(3) Subject to the provisions of these Rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the selection list.

(4) Inclusion of a candidate's name in the list does not confer any right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(5) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its approval by the Board of Governors/Prabandhan Samiti of the institute.

13. **Conditions of Services.**—(1) Every person recruited on initial posts such as Lecturer, Trainee, Placement Officer (Grade-II), System Analyst (Grade-II & III), Librarian and Physical Training Instructor, Asst. Workshop Superintendent, Programmer etc. shown in Schedule III shall be appointed initially for a period of three years on contract. On completion of this period, performance of the candidate shall be reviewed by the Appointing Authority as per approval procedure as approved by the Government and, if found suitable, he shall be offered a regular appointment.

(2) The Society/Prabandhan Samiti shall be able to make regular appointment on probation for a period of two years on posts such as Head of the Department, Workshop Superintendent, Training and Placement Officer (Grade-I), System Analyst (Grade-I), and Principals etc. shown in Schedule II.

(3) Conduct of any person appointed under these Rules shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, as amended from time to time.

(4) A person appointed under these Rules shall not be entitled to pension and other benefits relating thereto. However, persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts mentioned in Schedule II on selection to the higher posts, shall be entitled to pensionary benefits from the post from which they retire.

(5) Service of a person appointed under these Rules shall be terminated even before the expiry of the contract/probation on one month notice from either side or one month pay in lieu thereof.

(6) A person appointed under these Rules shall be entitled to benefit of medical facilities and travelling allowance similar to those, to which the employees of the State Government in equivalent cadres are entitled.

(7) A person appointed under these Rules shall also be entitled to benefit of Contributory Provident Fund as decided by the State Government from time to time.

(8) A person appointed under these Rules, on contract shall be entitled to casual leave for 13 days and optional holidays for 3 days in a year but he shall not be entitled to any other kind of leave or vacation. Other persons appointed on regular basis shall be entitled to leave benefits as applicable to Government employees.

(9) A person appointed on contract/regular basis shall be entitled to incentives for possessing higher qualifications as per norms of the All India Council of Technical Education.

(10) Other conditions of service shall be such as may be specified in the order of his appointment.

14. Lien.—If a person who at the commencement of these rules is holding a post specified in column (3) to (7) of Schedule I in a substantive capacity shall be on deputation and if selected after the commencement of these Rules for a higher post in accordance with the provisions of these rules shall be permitted to retain lien on his substantive post for a maximum period of three years. Before completion of the period specified above the Appointing Authority of the institute in which he is serving will have to take a final decision about the absorption of the candidate.

15. Powers of the State Government to co-ordinate recruitment and cadre Management Policy.—The State Government shall have the right to issue the directives as and when necessary to the Society/Prabandhan Samiti for adhering to a common set of norms and procedures for the recruitment, selection and management of cadre of teachers under the rules across institutes.

16. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

17. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor of Madhya Pradesh to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to that person than that provided in these Rules.

18. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these Rules :

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. शुक्ल, अवर सचिव.

34

SCHEDULE-I
(See rule-5)

Part-II : Government/Autonomous Women Polytechnic Colleges

| Sl. No. (1) | Name of the Post (2) | Sanctioned Posts (3) | | | | | | | | | | | | | Total | Classi- fication (4) | Pay Scale (5) | Remarks (6) |
|-------------|---|----------------------|--------|-----------|------------|---------|-------------|--------|----------|----------|------------|-------|-------|-------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Shivni | Bhopal | Burhanpur | Chhindwara | Gwalior | Hoshangabad | Indore | Jabalpur | Khargone | Narsingpur | Panna | Sagar | Shore | | | | |
| 1 | Principal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | Class-I | 16-19-20000/- (AICTE) | |
| 2 | Head of Department: Electronics and Telecommunication Engg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 3 | Architecture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 4 | Pharmacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 5 | Computer Application Engg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 6 | Modern Office Management | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) | |
| 7 | Costume Designing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 8 | Dressmaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) | |
| 9 | Medical Laboratory Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 10 | Computer Science & Engg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 11 | Interior Decoration and Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 12 | Beauty Culture and Cosmetology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 13 | Food Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 14 | Textile Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 15 | Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 16 | System Analyst Grade-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 17 | Garment Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 18 | Maintenance Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-I | 12000-18300/- (AICTE) |
| 19 | Lecturer : Electronics and Telecommunication Engg. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) |
| 20 | Architecture | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) |
| 21 | Pharmacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) |
| 22 | Computer Application Engg. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) |
| 23 | Modern Office Management | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) | | |
| 24 | Costume Designing | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) | | |
| 25 | Dressmaking | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) | | |
| 26 | Medical Laboratory Technology | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) | | |
| 27 | Computer Science & Engg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Class-I | 8000-13500/- (AICTE) |

Part-II : Government Autonomous Women Polytechnic Colleges

| Sl. No. (1) | Name of the Post (2) | Sanctioned Posts | | | | | | | | | | | | | Pay Scale (5) | Remarks (6) | | | |
|-------------|---|---------------------------------|-----------|------------|---------|-------------|--------|----------|-----------|------------|-------|-------|--------|-------|---------------|----------------------------|----|----------------------------------|------------------|
| | | Blhopal | Murhanpur | Chhindwara | Gwalior | Hoshangabad | Indore | Jabalpur | Kharagore | Narsingpur | Panna | Sagar | Sehore | Total | | | | | |
| 9. | Interior Decoration and Design. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 10 | Chemistry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 11 | Maths | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 12 | English | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 13 | Beauty Culture and Cosmetology. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 14. | Food Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 15. | Textile Design. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 16. | Information Technology | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 17. | Garment Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Class-I 10000-15200/- (AICTE) | Posts are vacant |
| 3A | Lecturer-Senior Grade | All posts mentioned in S. No. 3 | | | | | | | | | | | | | | Posts are vacant | | | |
| 3B | Lecturer-Selection Grade | All posts mentioned in S. No. 3 | | | | | | | | | | | | | | Posts are vacant | | | |
| 4 | Librarian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 4A | Librarian-Senior Grade | All posts mentioned in S. No. 4 | | | | | | | | | | | | | | Posts are vacant | | | |
| 4B | Librarian-Selection Grade | All posts mentioned in S. No. 4 | | | | | | | | | | | | | | Posts are vacant | | | |
| 5 | Physical Training Instructor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Class-I 8000-13500/- (AICTE) | |
| 5A | Physical Training Instructor-Senior Grade. | All posts mentioned in S. No. 5 | | | | | | | | | | | | | | Posts are vacant | | | |
| 5B | Physical Training Instructor-Selection Grade. | All posts mentioned in S. No. 5 | | | | | | | | | | | | | | Posts are vacant | | | |
| 6 | Class-II post: | | | | | | | | | | | | | | | 8000-13500/- (State Scale) | | | |
| 1. | Programmer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Class-II | |
| 2. | System Analyst-Grade-III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Class-II | |

Part-II : Government/Autonomous Women Polytechnic Colleges

Savied and Post already filled by Government

Vacant posts Transferred to Society

| S. No. (1) | Name of the Post (2) | Savied and Post already filled by Government (3) | | | | | | | | | | | | | Vacant posts Transferred to Society (4) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|--------|-----------|------------|---------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|-------|--------|---|-------|--------|-----------|------------|---------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|-------|--------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | Bhind | Bhopal | Burhanpur | Chhindwara | Gwalior | Hoshangabad | Indore | Jabalpur | Khargone | Narsinghpur | Panna | Sagar | Schore | Total | Bhind | Bhopal | Burhanpur | Chhindwara | Gwalior | Hoshangabad | Indore | Jabalpur | Khargone | Narsinghpur | Panna | Sagar | Schore | Total |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |

3. Lecturer :-

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 1 | Electronics and Tele-communication Engr. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | Architecture | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Pharmacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Computer applications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Modern Office Management | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | |
| 6 | Costume Design & Dressmaking | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 7 | Medical Laboratory Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Computer Science & Engr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | Inventor Decoration and Design | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Chemistry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Maths | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | English | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Beauty Culture and Cosmetology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Food Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Textile Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 17 | Garment Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Librarian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Physical Training Instructor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6. Class-II Post :- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programmer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | System Analyst-Grade-III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------|--|
| 371 | Lecturer-Senior Grade | | All posts mentioned in S. No. 3 | | | For the purpose of Placement as Lecturer-Senior Grade procedure laid down in Note-3 of Schedule-III will be followed. |
| 372 | Lecturer-Selection Grade | | All posts mentioned in S. No. 3 | | | For the purpose of Placement as Lecturer-Selection Grade procedure laid down in Note-2 of Schedule-III will be followed. |
| 373 | Librarian | | 16 | 14 | 100% | |
| 374 | Librarian-Senior Grade | | All posts mentioned in S. No. 4 | | | For the purpose of Placement as Librarian-Senior Grade procedure laid down in Note-4 of Schedule-III will be followed. |
| 375 | Librarian-Selection Grade | | All posts mentioned in S. No. 4 | | | For the purpose of Placement as Librarian-Selection Grade procedure laid down in Note-5 of Schedule-III will be followed. |
| 376 | Physical Training Instructor | | 12 | 13 | 100% | |
| 377 | Physical Training Instructor-Senior Grade | | All posts mentioned in S. No. 5 | | | For the purpose of Placement as Physical Training Instructor-Senior Grade procedure laid down in Note-6 of Schedule-III will be followed. |
| 378 | Physical Training Instructor-Selection Grade | | All posts mentioned in S. No. 5 | | | For the purpose of Placement as Physical Training Instructor-Selection Grade procedure laid down in Note-7 of Schedule-III will be followed. |
| Class-II Post :- | | | | | | |
| 1. | Assistant Workshop Supervisor | | 19 | 3 | 100% | |
| 2. | Videographer | | 0 | 1 | 100% | |
| 3. | Printer | | 10 | 13 | 100% | |
| 4. | System Analyst-Grade-III | | 0 | 1 | 100% | |
| 5. | Cameraman | | 1 | 0 | 100% | |
| 6. | Artist | | 1 | 0 | 100% | |
| 7. | Assistant Surgeon | | 0 | 1 | 100% | |

SCHEDULE-III
(See rule 7)

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

| S. No. | Name of Department | Name of Post | (4) | (5) | (6) | (7) |
|----------------------------------|---|---|--|--|------|---------|
| | | Duty posts which are already filled by Government | Duty post which have been transferred to Societies/Prabandhan Samiti of the institutions | Percentage of posts to be filled by Societies/Prabandhan Samiti of the institutions through direct selection | | Remark: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Technical Education and Training | | | | | | |
| Principal | | | | | | |
| Head of Department :- | | | | | | |
| 1. | Civil Engg. | | 1 | 15 | 100% | |
| 2. | Mechanical Engg. | | 2 | 23 | 100% | |
| 3. | Electrical Engg. | | 4 | 20 | 100% | |
| 4. | Electronics and Telecommunication Engg. | | 0 | 6 | 100% | |
| 5. | Automobile Engg. | | 0 | 1 | 100% | |
| 6. | Town Planning and Architecture | | 0 | 1 | 100% | |
| 7. | Pharmacy | | 2 | 0 | 100% | |
| 8. | Production Engg. | | 0 | 1 | 100% | |
| 9. | Computer Applications | | 0 | 1 | 100% | |
| 10. | Applied Videography | | 0 | 1 | 100% | |
| 11. | Maintenance Cell | | 1 | 2 | 100% | |
| 12. | Applied Mechanics | | 0 | 1 | 100% | |
| 13. | Chemical Engg. | | 0 | 1 | 100% | |
| 14. | Textile Technology | | 0 | 1 | 100% | |
| 15. | Modern Office Management | | 0 | 2 | 100% | |
| 16. | Printing Technology | | 1 | 1 | 100% | |
| 17. | Comp. Science and Engg. | | 0 | 7 | 100% | |
| 18. | Refinery & Petrochemicals | | 0 | 1 | 100% | |
| 19. | Industrial Electronics | | 0 | 1 | 100% | |
| 20. | Mechatronics | | 0 | 1 | 100% | |
| 21. | Manufacturing Engineering | | 0 | 1 | 100% | |
| 22. | Information Technology | | 0 | 5 | 100% | |
| 23. | System Analyst-Grade-I | | 0 | 0 | 100% | |
| 24. | Workshop Superintendent | | 4 | 25 | 100% | |
| 25. | Deputy Director-LRDC | | 1 | 0 | 100% | |
| 26. | Training & Placement Officer-Grade-I | | 0 | 8 | 100% | |
| 27. | Refrigeration & Airconditioning | | 0 | 1 | 100% | |
| 28. | Mining and Mine Surveying | | 0 | 2 | 100% | |

30

SCHEDULE-IV

(See rule-8)

| Name of Department (1) | Name of the Post (2) | Minimum Age (3) | Maximum Age (4) | Educational Qualification & Experience (5) | Remarks (6) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| Technical Education & Training | 1. Principal (Technical) | 60 Years | | <p>1. Master's Degree in appropriate branch of Engineering and Technology with First class at Master's or Bachelor's level, and</p> <p>2. 15 years experience in teaching out of which 5 years must be at the level of Head of Department or experience of working at equivalent level</p> <p>Or</p> <p>1. Ph. D. in appropriate branch of Engineering/Technology/ Technical Education, and</p> <p>2. 10 years experience in teaching out of which 3 years shall be at the level of Head of Department or experience of working at equivalent level.</p> | <p>Note : Candidates from Industry/Profession with First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology and with 15 years experience of which—</p> <p>1. At least 5 years experience as Lecturer or higher level, and</p> <p>2. 5 years experience as Head of Department or equivalent thereto, and for the rest of the duration, experience of working at appropriate level in Industry/Field/ Training/Research Work, will also be eligible.</p> |
| | 2. Head of Department (Technical) | 50 years | | <p>1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology Technician Education along with Basic Degree in appropriate branch from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field teaching/research work.</p> | <p>Applicable to following branches :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architecture 2. Automobile Engg. 3. Chemical Engg. 4. Civil Engg. 5. Electrical Engg. 6. Electronics/Electronics and Telecommunication Engg. 7. Mechanical Engg. 8. Mine Surveying |

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3. Training and Placement Officer-Grade-1 (Technical)

50 Years

1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Basic Degree in appropriate branch from a recognised University/Institute, and
2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

Candidates having basic degree in all branches of engineering are eligible.

- 9. Mining and Mining Surveying.
- 10. Production Engg.
- 11. Textile Technology.

4. Head of Department Applied Mechanics (Technical)

50 Years

1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Bachelor's Degree in Civil/Mechanical Engg. from a recognised University/Institute, and
2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

5. Head of Department Beauty Culture and Cosmetology (Non-Technical)

50 years

1. First class Bachelor's Degree of a recognised University/Institute, and
2. First class Diploma in Beautician/Beauty Culture/Cosmetology of not less than two years duration from a recognised University/Board/Institute, and
3. 8 years experience of teaching in the field of Beautician/Beauty Culture/Cosmetology or out of total experience of 8 years at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

| | |
|--|--|
| <p>6. Head of Department Cement Technology (Technical)</p> | <p>50 Years</p> <p>1. First class Master's Degree/Postgraduate Diploma in Cement Technology along with Bachelor's Degree in Mechanical/Chemical Engg. from a recognised University/Institute.</p> <p>Or</p> <p>First class Master's Degree in Material Handling/Maintenance along with Bachelor's Degree in Mechanical/Chemical Engg. from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching Cement Technology subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years at least 3 years experience of teaching Cement Technology subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> |
| <p>7. Head of Department Computer Science and Engg. (Technical)</p> | <p>50 Years</p> <p>1. First class Master's Degree in Computer Science and Engg. Computer Technology/Information Technology along with Bachelor's Degree in any one of the above subjects from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> |
| <p>8. Head of Department Costume Design and Dress Making (Non-Technical)</p> | <p>50 Years</p> <p>1. Ph.D. with first class Master's Degree (M.H.Sc.) in Textile and Clothing from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> <p>Or</p> <p>1. First class Diploma in Costume Design and Dressmaking of not less than two years duration along with first class Bachelor's Degree in any subject from a recognised University/Institute, and</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|--|---|
| 9. Head of Department Food Technology (Non-Technical) | 50 Years | <ol style="list-style-type: none"> 8 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Master's Degree in Food Technology from a recognised University/Institute, and 5 years experience of teaching Food Technology subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching Food Technology subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Master's Degree in Textile Technology from a recognised University/Institute, and |
| 10. Head of Department Garment Technology (Non-Technical) | 50 Years | <ol style="list-style-type: none"> 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class M.Sc. in Clothing/Garment technology from a recognised University/Institute, and 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. |

(10)

(5)

(4)

(3)

(2)

3. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

50 Years
 First Class Master's Degree in Industrial Electronics along with Bachelor's Degree in Electronics/Electrical and Electronics/ Electronics and Instrumentation Engg./ Technology from a recognised University/Institute, and 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

11. Head of Department Industrial Electronics (Technical)

50 Years
 First-Class Bachelor's Degree in Interior Decoration and Design from a recognised University/Institute.

12. Head of Department Interior Decoration and Design (Non-technical)

Or
 First class Diploma in Interior Decoration & Design of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute, And
 2. 8 years experience of teaching Interior Decoration subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 5 years experience of teaching above subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

Or
 First Class Master's Degree in Architecture with Interior Decoration and Design subject, along with Basic Degree in Architecture with Interior Decoration subject from a recognised University/Institute, and

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|-----|-----|-----------------|--|-----|
| | | | | <p>5 years experiece of teaching Interior Decoration at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years at least 3 years experiece of teaching in above subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experiece in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> | |
| <p>13. Head of Department Information Technology (Technical)</p> | | | <p>50 Years</p> | <p>1. First Class Master's Degree in Information Technology/ Computer Technology/Computer Science and Engg. along with Bachelor's Degree in any one of the above subjects from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experiece of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experiece of 5 years, at least 3 years experiece of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experiece in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> | |
| <p>14. Head of Department Manufacturing Engg. (Technical)</p> | | | <p>50 Years</p> | <p>1. First Class Master's Degree in Manufacturing/Production/ Robotics Engineering/Technology along with Bachelor's Degree in Manufacturing/Industrial/Mechanical/Production Engineering/Technology from a recognised University/ Institute, and 2. 5 years experiece of teaching in Production/Manufacturing/ Mechanical subject at Degree/Diploma level or out of total experiece of 5 years, at least 3 years experiece of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experiece in the related subject at appropriate level in industry/ field/ training/research work.</p> | |
| <p>15. Head of Department Mechatronics (Technical)</p> | | | <p>50 Years</p> | <p>1. First Class Master's Degree in Mechatronics/Production/ Manufacturing/Industrial Electronics/Robotics/Electronic Engg. along with Bachelor's Degree in Production/ Automation & Robotics/ Manufacturing/Mechanical/ Industrial Electronics/Electronics and Instrumentation from a recognised University/Institute, and</p> | |

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

16. Head of Department Medical Laboratory Technology (Non Technical)

50 Years 1. First Class Master's Degree in Medical Laboratory Technology from a recognised University/Institute, Or
First Class Master's Degree in Bio-chemistry or Bacteriology from a recognised University/Institute, or
First Class MBBS from a recognised University/Institute
And

2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work, Or
1. First Class MD in Pathology from a recognised University Institute, and

2. 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 3 years, at least 2 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

17. Head of Department Modern Office Management (Non Technical)

50 Years 1. Ph. D in Commerce from a recognised University/Institute and
2. 5 years experience of teaching Modern Office Management/Modern Office Practice/Secretarial Practice & Stenography/Commercial Practice subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching in Modern Office Management/Modern Office Practice/Secretarial Practice & Stenography/Commercial Practice subject at Degree/Diploma level, and

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

18. Head of Department Refrigratory And Petro-Chemicals (Technical)
- 50 Years
1. First Class Master's Degree in Chemical/Petro Chemical/ Petroleum Engg/Technology along with Bachelor's Degree in any one of the above subjects from a recognised University/Institute, and
 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree-Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

19. Head of Department Pharmacy (Technical)
- 50 Years
1. First Class Master's Degree in Pharmacy along with B. Pharmacy from a recognised University/Institute, and
 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

20. Head of Department Printing Technology (Technical)
- 50 Years
1. First Class Bachelor's Degree in Printing Technology from a recognised Institute/Board/University, and
 2. 8 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 5 years experience of teaching related subject at Degree-Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

21. Head of Department Refrigreration & Air Conditioning (Technical)
- 50 Years
1. First Class Master's Degree in Refrigeration and Air Conditioning along with Bachelor's Degree in Mechanical Engg. from a recognised University/Institute, and
 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at

44

(1) (2) (3) (5) (6)

least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

22. Head of Department Textile Design (Non Technical)

50 Years

1. First class Master's Degree in Textile Design/Technology from a recognised University/Institute, and
2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

Or

1. First class M.Sc. in Textile Chemistry subject from a recognised University/Institute, and
2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

23. Head of Department Computer Applications (Non Technical)

50 Years

1. Ph. D. in Computer Applications along with first class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute,
- Or
- First class Master's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology along with Bachelor's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology from a recognised University/Institute,
- Or
- First class Master's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology along with Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute.
- And

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 16) |
|---|----------|-----|-----|---|---|
| | | | | | <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> |
| 24. Head of Department Rural Engg. (Non Technical) | 50 Years | | | <p>1. First class Master's Degree in Rural Technology/Engg. along with Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> | |
| 25. Head of Department Town Planning and Architecture (Technical) | 50 Years | | | <p>1. First class Master's Degree in Architecture/Planning in Urban Design/Urban and Regional Planning/Environmental Planning/Urban Planning/Regional Planning/Transport/Housing/City Planning along with Bachelor's Degree in Architecture or equivalent (which has been duly recognised by Council of Architecture) from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> | |
| 26. Head of Department Maintenance Cell (Technical) | 50 Years | | | <p>1. First class Master's Degree in Engineering/Technology/Technician Education in appropriate branch along with Bachelor's Degree in Mechanical/Electronics/Electrical Engineering from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at</p> | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------|---|-----|-----|-----|
| 27. Head of Department Applied Videography (Non Technical) | 50 Years | <p>least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> <p>1. First class Master's Degree in Physics/Chemistry from a recognised University/Institute.</p> <p>Or</p> <p>First class Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute.</p> <p>2. First class Diploma in Applied Videography/Photography of at least two years duration, from a recognised University/Institute with 8 years teaching and/or professional experience.</p> | | | |
| 28. Workshop Superintendent (Technical) | 50 Years | <p>1. First class Master's Degree in Mechanical Engg./Industrial Engg./Production/Manufacturing Engg. along with the Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering, and</p> <p>2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.</p> | | | |
| 29. System Analyst-Grade-I | 50 Years | <p>1. First class Master's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology along with Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute,</p> <p>Or</p> <p>Ph. D. in Computer Applications along with Masters Degree in Computer Applications, and</p> <p>2. 5 years experience of working in Computer Centre of Government/Semi-Government/Public Undertaking/Organisation.</p> | | | |

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

30. Deputy
Director-LRDC
(Technical)

50 Years

1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Bachelor's Degree in Engineering, and
2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

31. Lecturer
(Technical)

21 Years

35 Years

First class Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology from a recognised University/Institute.

Applicable to the following branches :-

1. Architecture
2. Automobile Engg.
3. Chemical Engg.
4. Civil Engg.
5. Electrical Engg.
6. Electronics/Electronics and Telecommunication Engg.
7. Mechanical Engg.
8. Mine Surveying
9. Mining and Mining Surveying.
10. Production Engg.
11. Textile Technology

32. Training &
Placement
Officer-Grade-
II (Technical)

21 Years

35 Years

First class Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology from a recognised University/Institute.

33. Lecturer
Science/
Humanities
(Non Technical)

21 Years

35 Years

First class Master's Degree in appropriate branch of Humanities Science from a recognised University/Institute
Or

Good academic record with at least 55% marks or an equivalent CGPA at the Master's Degree level, in the relevant

Applicable to following
Subjects :-

1. Physics
2. Chemistry/Engineering Chemistry

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

subject from recognised University/Institute along with the clearing of the National Eligibility Test (NET) conducted by UGC/CSIR or similar test accredited by the UGC.

34. Lecturer Beauty Culture and Cosmetology (Non Technical) 2 Years
 1. First Class Bachelor's Degree of a recognised University/Institute, and
 2. First Class Diploma in Beautician/Beauty Culture/Cosmetology of not less than two years duration from a recognised University/Board/Institute, and
 3. 2 years experience in teaching and/or profession in the field of Beautician/Beauty Culture/Cosmetology.

35. Lecturer Cement Technology (Technical) 2 Years
 1. First Class Bachelor's Degree in Mechanical/Chemical Engineering/Technology from a recognised University/Institute.
 Desirable :— Postgraduate Diploma in Cement Technology.

36. Lecturer Comp. Science and Engg. (Technical) 2 Years
 1. First Class Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute.

37. Lecturer Costume Design & Dressmaking (Non Technical) 21 Years
 1. First Class Master's Degree (M.H.Sc.) in Textile and Clothing from a recognised University/Institute.
 Or
 First Class Diploma in Costume Design and Dressmaking of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree in any subject from a recognised University/Institute.

38. Lecturer Food Technology (Non Technical) 21 Years
 1. First Class Bachelor's Degree in Food Technology from a recognised University/Institute.

39. Lecturer Garment Technology (Non Technical) 21 Years
 1. First Class Bachelor's Degree in Textile Technology from a recognised University/Institute.
 Or



(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

| | | | | |
|--|----------|----------|---|--|
| <p>First Class M.Sc. in Clothing/Garment Technology from a recognised University/Institute. Or First Class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree, Or First Class Diploma of 3 years duration in Fashion/Garment Technology/Costume Designing and Dress Making along with First Class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. And 2. Two years experience in the related subject in industry/field/training.</p> | | | | |
| <p>First Class Bachelor's Degree in Electronics/Electrical and Electronics/Electronics and Instrumentation Engg./Technology from a recognised University/Institute.</p> | 35 Years | 21 Years | 40. Lecturer Industrial Electronics (Technical) | |
| <p>1. First Class Bachelor's Degree in Interior Decoration and Design from a recognised University/Institute. or First class Diploma in Interior Decoration & Design of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute. and 2. Two years experience in teaching and/or profession. or First Class Bachelor's Degree in Architecture with Interior Decoration subject from a recognised University/Institute.</p> | 35 Years | 21 Years | 41. Lecturer Interior Decoration and Design (Non Technical) | |
| <p>First Class Bachelor's Degree in Information Technology/Computer Technology/Computer Science and Engg. from a recognised University/Institute.</p> | 35 Years | 21 Years | 42. Lecturer Information Technology (Technical) | |
| <p>First Class Bachelor's Degree in Manufacturing/Industrial/Mechanical/Electrical Engineering/Technology from a recognised University/Institute.</p> | 35 Years | 21 Years | 43. Lecturer Manufacturing Engineering (Technical) | |

47

| | | | |
|--|----------|----------|--|
| 44. Lecturer Mechanical (Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Bachelor's Degree in Production/Automation & Robotics/Manufacturing/Mechanical/Industrial Electronics/ Electronics and Instrumentation/ Engineering/Technology from a recognised University/Institute. |
| 45. Lecturer Medical Laboratory Technician (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Master's Degree in Medical Laboratory Technology from a recognised University/Institute. Or First Class Master's Degree in Bio-chemistry or Bacteriology from a recognised University/Institute. Or First Class MBBS from a recognised University/Institute. |
| 46. Lecturer Modern Office Management (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Master's Degree in Commerce from a recognised University/Institute. Desirable :- Diploma/Post Graduate Diploma in Computer Applications of not less than one year duration from a recognised University/Institute. |
| 47. Lecturer Modern Office Management (Stenographic) (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Master's Degree in Commerce along with First Class Diploma in Modern Office Management/Modern Office Practice/Secretarial Practice and Stenography/Commercial Practice from a recognised University/Institute. Desirable :- Diploma/Post Graduate Diploma in Computer Applications of not less than one year duration from a recognised University/Institute. |
| 48. Lecturer Refinery And Petrochemicals (Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Bachelor's Degree in Chemical/Petro Chemical/ Petroleum, Engg. Technology from a recognised University/ Institute. |
| 49. Lecturer Pharmacy (Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Master's Degree in Pharmacy from a recognised University/Institute. Or First Class Bachelor's Degree in Pharmacy from a recognised University/Institute along with 3 years of experience. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|----------|----------|--|-----|
| 50. Lecturer Plastic Technology (Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Bachelor's Degree in Plastic/Polymer Engineering/ Technology from a recognised University/Institute. Or First class Post Graduate Diploma in Plastic/Polymer Engineering/Technology along with Bachelor's Degree in any branch of Engineering/Technology. | (6) |
| 51. Lecturer Printing Technology (Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Bachelor's Degree in Printing Technology from a recognised Institute/Board/University. | |
| 52. Lecturer Refrigeration & Air-conditioning (Technical) | 21 Years | 35 Years | First Class Bachelor's Degree in Mechanical Engineering with Refrigeration and Air-conditioning as a subject from a recognised University/Institute. | |
| 53. Lecturer Textile Design (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Bachelor's Degree in Textile Design/Technology from a recognised University/Institute. Or First class M.Sc. in Textile Chemistry subject from a recognised University/Institute. | |
| 54. Lecturer Computer Applications (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute. Or First class Bachelor's Degree in Computer Technology/ Computer Science/Computer Engineering/Information Technology from a recognised University/Institute. Or First class Master's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology along with Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute. | |
| 55. Lecturer Rural Engg. (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Bachelor's Degree in Rural Technology/Engg. along from a recognised University/Institute. Or | |

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

First class Master's Degree/Post Graduate Diploma in Rural Technology/Engg. along with Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute.

50. Lecturer (Town Planning Architecture Technical) 21 Years 35 Years First class Bachelor's Degree in Architecture or equivalent (which has been duly recognised by Council of Architecture) from a recognised University/Institute.

51. Lecturer (Applied Geography Non Technical) 21 Years 35 Years 1. First class Master's Degree in Physics/Chemistry from a recognised University/Institute, Or

First class Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute. and

2. First class Diploma in Applied Videography/Photography of not less than two years duration from a recognised University/Institute with 3 years teaching and/ or professional experience.

52. Lecturer (Video Production Non Technical) 21 Years 35 Years 1. First class Master's Degree in Hindi/English along with first class Diploma in Applied Videography/Video Production of not less than two years duration from a recognised University/Institute. Or

First class Master's Degree in Mass Communication/Film Production from a recognised University/Institute, and 2. Experience of working as Director/Producer in any recognised institution. Or

Two years experience in television production or relaying from the TV institution.

53. Lecturer (Stereomatology Non Technical) 21 Years 35 Years 1. First class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute, and

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | | <p>2. First class Diploma in Film Direction/Cinematography/ Applied Videography of not less than 10 years duration from a recognised University/Institute.</p> |
| | <p>60. Lecturer Video Technology (Non Technical)</p> | <p>21 Years</p> | <p>35 Years</p> | <p>Note : Preference shall be given to those candidates who have experience in Film Direction/Cinematography.</p> <p>1. First class Bachelor's Degree in Electronics from a recognised University/Institute. Or First-class Master's Degree in Physics with specialisation in electronics from a recognised University/Institute, and 2. Two years experience of direction and/or maintenance of video and audio equipment in any television studio.</p> |
| | <p>61. Lecturer Video Recordist (Non Technical)</p> | <p>21 Years</p> | <p>35 Years</p> | <p>First class Bachelor's Degree in Electronics from a recognised University/Board/Institute with two years experience in a reputed TV/Video studio. Or First class Diploma in Cinema/Applied Videography of not less than two years duration from a recognised University/ Board/Institute and specialisation in editing and recording along with three years practical experience.</p> |
| | <p>62. Lecturer Script Writer (Non Technical)</p> | <p>21 Years</p> | <p>35 years</p> | <p>1. First class Master's Degree in Hindi/English from a recognised University/Institute, and 2. First class Diploma in Script writing/Drama/Film Production of not less than two years duration from a recognised University/Board/Institute with two years experience of working in a capacity of script writer/Director/Actor/Producer in a reputed institute. Or First class Master's Degree in Films from a recognised University/Institute with two years experience of working in a capacity of Script Writer/Director/Actor/Producer in a reputed institution.</p> |

| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------|----------|---|-----|
| 63. Lecturer Videographer (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Diploma in Video Production/Applied Videography of not less than two years duration along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Board/Institute. Note : Preference shall be given to candidates' possessing professional experience of operating Video Cameras. | |
| 64. Cameraman (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First class Diploma in Video Production/Applied Videography of not less than two years duration along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Board/Institute. Note : Preference shall be given to candidates' possessing professional experience of operating Video Cameras. | |
| 65. Artist (Non Technical) | 21 Years | 35 Years | First class five years National Diploma in Applied and Fine Arts with specialisation in Applied Arts from a recognised University/Board/Institute. Or First class five years National Diploma in Applied and Fine Arts with specialisation in Drawing and Painting from a recognised University/Board/Institute. | |
| 66. Assistant Workshop Superintendent | 21 Years | 35 Years | First class Bachelor's Degree in Mechanical/Production/Industrial/Manufacturing Engineering/Technology from a recognised University/Institute. | |
| 67. System Analyst Grade-II | 21 Years | 35 Years | 1. First class Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute. Or First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute. and 2. 5 years experience of working in Computer Centre of Government/Semi-government/Public Undertaking/ Organisation. | |
| 68. System Analyst Grade-III | 21 Years | 35 Years | First class Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute. Or First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute. | |

9425050478

9425655225

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------------------|----------|----------|-----|--|
| 69. Programme | 21 Years | 35 Years | | <p>1. First class Bachelor's Degree in Computer Science and Eng./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute.</p> <p>Or</p> <p>First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute.</p> <p>Or</p> <p>First class Post Diploma in Computer Applications along with Basic Diploma in any branch of Engineering from a recognised University/Institute.</p> <p>2. 2 years experience of working in Computer Centre of Government/Semi-Government/Public Undertaking Organisation.</p> |
| 70. Librarian | 21 Years | 35 Years | | <p>1. Qualifying in the National-level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC, and</p> <p>2. Master's Degree in Library Science/Information Science/Documentation or an equivalent professional degree with at least 55% of the marks or its equivalent C.G.P.A. and consistently good academic record, experience in computerisation of library.</p> |
| 71. Physical Training Instructor | 21 Years | 35 Years | | <p>1. A Master's Degree in Physical Education (two year course) or Master's degree in Sports or an equivalent Degree with at least 55% of marks or its equivalent C.G.P.A. and consistently good academic record.</p> <p>2. Record of having represented the university/college or the inter-university/inter-collegiate competitions or the State or National Championships.</p> <p>3. Pass in the Physical fitness test.</p> <p>4. Qualifying in the national test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.</p> |